आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
31.01.14	**प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 136/13–14 रमेश शर्मा वनाम् राजेन्द्र शर्मा एवं अन्य आदेश** आवेदक रमेश शर्मा पिता स्व० रामनंदन शर्मा ग्राम कुदरासी थाना रामपुर चौरम जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर नाजायज बेदखली से रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम कुदरासी थाना रामपुर चौरम जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:– खाता: 255; खेसरा: 301; रकवा: 10 डी०; चौहद्दी: उतर– युगेश सिंह वो कमलदेव यादव वगैरह; दक्षिण– उमेश शर्मा वो रामलखन यादव; पूरब– प्लॉट नं० 245; पश्चिम–अजय शर्मा वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:– (1) विवादित भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है जिसका राजस्व रसीद भी आवेदक के नाम से कटती है। (2) विवादित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। (3) वादी उक्त भूमि पर जिनोरा एवं मकई बुआई करने के लिए गया तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि को लेकर झगडा करने पर उतारू हो गया जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। (4) विपक्षी आवेदक के कब्जा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। (5) वादी ने जिस भू–मालिक से भूमि कय करने का काम किया है उसके पूर्वज नागेन्द्र मोहन सिंह के द्वारा दाखिल रिटर्न में वादग्रस्त भूमि भी शामिल है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षीगण के नाजायज बेदखली रोकने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवकता ने किया है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:– (1) पुराना सर्वे खतियान में प्रश्नगत् खाता प्लॉट में 16 डी० भूमि गैर मजरूआ एराजीदार वर्णित है। (2) गैर मजरूआ एराजीदार भूमि जब तक जमींदारी उन्मूलन के पूर्व भू–स्वामी द्वारा किसी को बंदोबस्त नहीं किया गया तथा बिहार सरकार में कम्पनसेशन प्राप्त रिटर्न जमाबंदी नहीं दाखिल किया गया तब तक उस भूमि को बिकी करने का अधिकार किसी को नहीं है तथा उक्त भूमि बिहार सरकार की है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक के विवादित भूमि पर दावा का आधार	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
255	301	10 डी०	उतर– युगेश सिंह वो कमलदेव यादव वगैरह दक्षिण– उमेश शर्मा वो रामलखन यादव पूरब– प्लॉट नं० 245 पश्चिम–अजय शर्मा

दिनांक 16.04.12 का केवाला है जो ब्रजमोहन प्रसाद सिंह उर्फ सोहन प्रसाद सिंह पिता स्व० गोपाल शरण सिंह वो अजय कुमार पिता स्व० नवल किशोर शर्मा द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित है। आवेदक द्वारा बाबू नागेन्द्र मोहन सिंह के नाम जमाबंदी रिटर्न की कॉपी भी दाखिल की गई है जिसमें विवादित प्लॉट भी शामिल है और जिसका कम्पनशेसन वाद संख्या 13508/54-55 अंकित है।

विवादित भूमि सर्वे,खतियान में गैरमजरूआ एराजीदार किस्म परती कदीम दर्ज है। आवेदक द्वारा दाखिल कम्पनशेसन वाद संख्या 13508/54-55 की छाया प्रति अंचल अधिकारी करपी से मोबाईल पर सूचना देकर मॉग की गई। बाद में दाखिल रिटर्न की कौपी भी अंचल अधिकारी करपी को जॉच हेतु भेजी गई। अंचल अधिकारी करपी ने अपने पत्रांक 53 दिनांक 25.01.14 द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजा है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि कम्पनशेसन केश नं० 13508/54-55 राजनंदन सिंह पिता चन्द्रदेव सिंह के नाम से है और मौजा अंगारी है जबकि विवादित भूमि मौजा कुदरासी में अवस्थित है अर्थात् दाखिल रिटर्न की कौपी फर्जी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बिहार सरकार की है जिसे बिकी करने का अधिकार किसी भी ब्यक्ति को नही है। अतः वाद को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी करपी को निदेश दिया जाता है कि वे विवादित भूमि जो कि वस्तुतः सरकारी भूमि है,को अपने कब्जा में ले लें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

31.01

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

31.01

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।